प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में भारतीय रेल में खानपान सेवायें की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टांत वे हैं, जो कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए और वे जो पिछले वर्षों में देखे गये, किंतु पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुपालन में की गई है।